न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2020 (बांसवाड़ा आर्डर)

गोकुल पुत्र जयसिंह जी हगावडीया, जाति लबाना, निवासी गांव डुंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश पुत्र रूपसिंग जी डांगर, जाति लबाना, निवासी गांव डुंगरा बडा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. फतेहसिंह पुत्र अमरसिंग जी डांगर, जाति लबाना, निवासी गांव डुंगरा बडा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. प्रताप पुत्र रूपसिंग जी डांगर, जाति लबाना, निवासी गांव डुंगरा बडा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध

निर्णय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़

दिनांक 18.02.2020 प्रकरण सं. 1/20

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री समर पण्डया अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 03–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, किन्तु अपने आदेश दिनांक 18.02.2020 से प्रार्थी के पक्ष जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–02–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री समर

पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। उभयपक्षों की सहमति से स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मेरिट पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर उनका जवाब लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादित भूमि को आवासीय भूमि मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है, क्योंकि यह तथ्य विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसे साक्ष्य लेने के पश्चात ही किया जा सकता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी द्वारा अपने खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन करवाकर उसके द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति पर निर्माण किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी विपक्षी द्वारा अपनी खातेदारी की संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण किया जाना मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–02–2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:31:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: